

18/10/21

महाराष्ट्र (पुणे) व महाराष्ट्र (पुणे) या
महाराष्ट्र (पुणे) या महाराष्ट्र (पुणे) या
पुणे महाराष्ट्र (पुणे) या महाराष्ट्र (पुणे) या
पुणे महाराष्ट्र (पुणे) या महाराष्ट्र (पुणे) या
पुणे महाराष्ट्र (पुणे) या महाराष्ट्र (पुणे) या
पुणे महाराष्ट्र (पुणे) या महाराष्ट्र (पुणे) या
पुणे महाराष्ट्र (पुणे) या महाराष्ट्र (पुणे) या
पुणे महाराष्ट्र (पुणे) या महाराष्ट्र (पुणे) या
पुणे महाराष्ट्र (पुणे) या महाराष्ट्र (पुणे) या
पुणे महाराष्ट्र (पुणे) या महाराष्ट्र (पुणे) या

अरशदीप बोर (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रभाग




टालमटोल की जाती रही है अब वादिनी को यह जानकारी प्राप्त हुयी है कि प्रतिवादी उक्त विवादित भूमि को किसी अन्य को बेचान करने पर आमदा हो रहा है जिस पर वादिनी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 13.9.2012 को एक रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाया है परन्तु बावजूद उसके प्रतिवादी द्वारा उक्त वादिनी से किये गये सौदे की क्रियान्विति नहीं की जा रही है वादिनी को पूर्ण आंशका है कि प्रतिवादी की नियत में खोट आ गयी है एवं वह उक्त भूमि को किसी अन्य दिगर व्यक्ति को बेचान करने पर आमदा है। जब वादिनी को यह जानकारी प्राप्त हुयी तो वह प्रतिवादी से दिनांक 1.10.2012 को जाकर मिली तो प्रतिवादी ने वादिनी को स्पष्ट कह दिया कि वह उक्त सौदे को नहीं मानता है एवं उक्त भूमि को किसी दिगर व्यक्ति को बेचान कर देगा। जिस कारण से वादिनी को यह वादपत्र पेश करना लाजमी हुआ है। अतः निवेदन किया कि वादिनी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाये कि वे वादग्रस्त सम्पति वर्णित मद नम्बर-2 में वर्णित भूमि को किसी अन्य व्यक्ति रहन, बय, हस्तान्तरण, बेचान ना करे करावे तथा एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वादिनी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में रसीद साई फोटोप्रति, विक्रय प्रारनामा बाबत बिचौती छायाप्रति व जमाबन्दी विवादग्रस्त भूमि पेश की।

वाद दर्ज रजिस्टर कर तामील करवाई गई व बाद तामील उपस्थित न होने कारण दिनांक 8.4.2013 को प्रतिवादी-1 के खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाई अमल में लाई गई। कोई जवाब पेश न होने की स्थिति में वाद में तनकी कायम न कर वाद साक्ष्य वादी के लिए नियत किया गया। दिनांक 26.8.21 को वादी ने P.W-1 श्रीमती रंजना गुप्ता पत्नि श्री हरी गुप्ता का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया व उसके साथ प्रदर्श-1 मूल रसीद साई पेश की व दिनांक 6.9.2021 को P.W-2 गंगाशरण गुप्ता पुत्र श्री गोविन्दनारायण गुप्ता का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। वाद में प्रतिवादी की एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण जिरह न कर पत्रावली अंतिम बहस के लिए नियत की गई। दिनांक 01.10.2021 को वकील वादी की बहस सुनी गई जिसमें वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र व साक्ष्य शपथ पत्र को बहस मान प्रतिवादी को विवादग्रस्त भूमि का बेचान व रहन न करने हेतु पाबंद करने के लिए निवेदन किया।


हमने पत्रावली का पूर्ण मनन कर यह पाया कि यह वाद में वादिया का कथन यह है कि वादिया व प्रतिवादी-1 के मध्य विवादग्रस्त भूमि के विक्रय हेतु साई हुई थी, जिसकी रसीदी साई का मूल दस्तावेज वादिया ने पेश किया है। कुछ समय बाद प्रतिवादी ने उक्त भूमि का बेचान वादिया को करने से इन्कार कर दिया, इसलिए वादिया प्रतिवादी को उक्त भूमि के बेचान/रहन करने हेतु प्रतिवादी को पाबंद करवाना चाहती है। पत्रावली का अध्ययन कर न्यायालय ने यह पाया कि वाद मूल विषयवस्तु/प्रश्न यह है कि क्या वादिया धारा 188 के तहत प्रतिवादी को पाबंद करवाने की अधिकारी है ?

धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान में मूल रूप से खातेदार अपने हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए land holder या अन्य किसी व्यक्ति को पाबंद करवा सकता है। अतः इसमें वादी का खातेदार होना जरूरी है व उसके हक अधिकारों को किसी प्रकार का खतरा होना जरूरी है। हमने इस वाद का गहन अध्ययन व मनन कर यह पाया कि


(आर.ए.एस.)
अरशदीप कलक्टर
जयपुर शहर प्रम

इस वाद की वादीया न तो विवादग्रस्त भूमि की खातेदार है, न ही उसने विवादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होने का दावा किया है व न ही कोई न्यायालय का निर्णय इत्यादि ही उसके हक में है जो कि इस भूमि का विक्रय वादीया के हक में सिद्ध करता हो। वादीया ने अपने वाद के समर्थन में केवल एक रसीद साई पेश की है जो कोई पंजीकृत य नोटरी द्वारा प्रमाणित नहीं है अतः यह कोई मान्य दस्तावेज नहीं है। अतः वादीया का अधिकार इस विवादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता। बल्कि वादीया के स्वयं के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी के अनुसार प्रतिवादी इस भूमि का काबिज खातेदार है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य अनुसार वादीया किसी भी प्रकार से प्रतिवादी (खातेदार विवादग्रस्त भूमि) को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः यह वाद खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय डिकी जारी हो। तहसीलदार आमेर को निर्णय एवं डिकी की पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18/10/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (प्रथम)
अरशदीप बरार (अ.र.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तादाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम) मुकाम जयपुर व इजलास श्रीमती
अरशदीप बराड (आर.ए.एस.)

श्रीमती रंजना गुप्ता बनाम रामलाल शर्मा

श्रीमती रंजना गुप्ता पत्नी श्री हरीश गुप्ता जाति महाजन निवासी महाराज कालोनी सीकर रोड
जयपुर ।

बनाम

.....वादी

रामलाल शर्मा पुत्र श्री मंगलचन्द बागड़ा जाति ब्राह्मण निवासी प्लाईवुड फैक्ट्री के सामने, सरणा
डूंगर फैक्ट्री एरिया ग्राम बावड़ी, जयपुर एवं महेश स्टील सरणा रोड़, खोराबीसल रीका मोड से
पहले, जयपुर ।

.....प्रतिवादी

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

कदमा नम्बर - दावा 07/2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती अरशदीप बराड व हाजिरी वकील
वादी मिनेजानिब मुद्ई रूबरू प्रतिवादीगण मिनेजानिब मुद्दयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व
डिक्री दी जाती है कि ग्राम बावड़ी, तहसील आमेर जिला जयपुर में भूमि तलाई वाला खेत की
खसरा नम्बर 290/1 स्थित है, खसरा नम्बर 290/1 में 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर वादिया का
अधिकार किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता। बल्कि वादिया के स्वयं के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
जमाबन्दी के अनुसार प्रतिवादी इस भूमि का काबिज खातेदार है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य
अनुसार वादिया किसी भी प्रकार से प्रतिवादी (खातेदार विवादग्रस्त भूमि) को स्थाई निषेधाज्ञा से
भयंदा करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः यह वाद खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री
जारी की जाती है।

निज मुबलिंग बाबत फीसदी सालाना आज की
खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह का अदा करें।
तारीख से तारीख अदायगी तक

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18/10/2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
अरशदीप बराड (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम